Taxable Capacity

करदेय क्षमता

करदेय क्षमता से आशय किसी विशेष समुदाय की कर देने की अधिकतम क्षमता अथवा सामर्थ्य से होता है। Sir Josiah Stamp के अनुसार " करदेय क्षमता से आशय उस अधिकतम धनराशि से है जो किसी देश के नागरिक दुखी तथा पतित जीवन बिताए बिना और आर्थिक संगठन को अधिक अस्तव्यस्त किये बिना सरकारी खर्चों के लिए दे सकें।"

लेकिन इस परिभाषा की यह कहकर आलोचना की गई कि व्यक्ति के सुख दुःख की सीमा क्या है तथा मानसिक परिस्थितियों का उचित ढंग से मूल्यांकन करना कठिन है।

Prof Findlay Shirras के अनुसार " करदेय क्षमता निचोड़ की सीमा है यह न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का कुल आधिक्य है, जो जीवन स्तर को प्रभावित किये बिना उतना ही उत्पादन करने के लिए आवश्यक हो"

शिराज ने अपनी परिभाषा में "न्यूनतम उपभोग" का प्रयोग किया है जो बड़ा ही संदिग्ध है क्योंकि न्यूनतम उपभोग की क्या सीमा होगी तथा व्यक्तियों के रहन सहन का क्या आवश्यक स्तर होगा, इसे निश्चित नहीं किया जा सकता है। अतः इन सभी परिभाषाओं को पूर्ण एवं संतोषजनक नहीं माना जा सकता है।

इन्हीं आलोचनाओं के कारण Dalton ने लिखा है " Taxable Capacity is a dim and confused conception" उन्होंने पुनः लिखा है " Taxable Capacity is an economic myth".

बाद में करदेय क्षमता की धारणा की विस्तृत व्याख्या करने के लिए इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. निरपेक्ष करदान क्षमता (Absolute Taxable Capacity)
2. सापेक्षिक करदान क्षमता (Relative Taxable Capacity)

1. Absolute Taxable Capacity

निरपेक्ष करदान क्षमता से आशय उस अधिकतम धनराशि से है जो कि किसी भी प्रकार के अनुकूल प्रभाव डाले बिना ही समुदाय से प्राप्त की जा सकती है। प्रो. शिराज के अनुसार "केवल जीवन यापन को छोड़कर सब कुछ कर के रूप में लेना निरपेक्ष करदान क्षमता से निचोड़ की सीमा है। ऐसी स्थिति में करदान क्षमता निचोड़ की (Absolute Taxable Capacity is the limit of squeezability) अर्थात यह कहा जा सकता है कि करारोपण को उस सीमा तक ले जाना चाहिए जहाँ पर पहुँचने के बाद करदाता के पास कुछ भी शेष न बचे। Dalton के अनुसार "निरपेक्ष करदान क्षमता का कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है क्योंकि इसकी निश्चित माप नहीं की जा सकती। यह एक कोरा भ्रम है जिससे भयानक भूल होने की सदा संभावना होती है।"

2. Relative Taxable Capacity

सापेक्षिक करदान क्षमता का अर्थ है आनुपातिक करदान सामर्थ्य अर्थात एक समुदाय की तुलना में दूसरे समुदाय की करदान सामर्थ्य। उदाहरण के लिए निर्धनों की तुलना में धनी व्यक्ति अधिक करभार वहन कर सकते हैं। डाल्टन ने कहा है कि यदि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है तो धनी करदाता द्वारा अदा किये जाने वाले अनुपात में तो वृद्धि होनी चाहिए और निर्धन द्वारा अदा किये जाने वाले अनुपात में कमी होनी चाहिए।

इसप्रकार यदि दो पृथक-पृथक समुदाय को किसी सामूहिक व्यय का भार उठाना है तो वह उनकी सापेक्ष करदान सामर्थ्य के अनुपात में हो सकता है। यह सिद्धान्त एक संघीय पद्धति के सरकार में आमतौर पर लागू किया जाता है जहाँ भिन्न-भिन्न

राज्यों से देश के राष्ट्रीय काम में अपना योगदान देने की आशा की जाती है।

Measurement of Taxable Capacity

करदेय क्षमता राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय पर निर्भर होती है। प्रो० मार्शल ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा इस प्रकार की है। "किसी देश का श्रम और उसकी पूंजी, अपने प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर, प्रतिवर्ष भौतिक व अभौतिक पदार्थों तथा सबप्रकार की सेवाओं का एक निश्चित योग उत्पन्न करते है यही देश की राष्ट्रीय आय होती है।" इसप्रकार देश के अन्दर होने वाले समस्त कुल उत्पादन (Aggregate net production) को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अत: राष्ट्रीय आय ही देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय का मुख्य स्रोत है।

प्रो० शिराज ने करदान - क्षमता को मापने की दो विधियाँ बताई है -

① कुल आय विधि (Aggregate Income method)

इस विधि के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है जो राष्ट्रीय आय के रूप में होती है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो करदान - क्षमता भी बढ़ेगी अन्यथा नही।

② उत्पादन विधि (Production method)

इस विधि के अन्तर्गत सभी स्रोतों से प्राप्त उत्पादन को ज्ञात करने के बाद प्रचलित मुल्यों के आधार पर उत्पादन का मुल्यांकन कर लिया जाता है। इसप्रकार जो राशि प्राप्त होगी उसे राष्ट्रीय आय कहा जायेगा। यदि शुद्ध उत्पादन बढ़ता है, तो करदान - क्षमता बढ़ेगी अन्यथा घटेगी।

परन्तु इन दोनों रीतियों में यदि किसी एक रीति को अपनाया जाए तो उसमें अनेक कठिनाइयाँ

समझी जाती है। सत्य तो यह है कि करदाताओं के क्षमता की माप वास्तविक एवं व्यावहारिक है अतः उचित यह होगा कि इन दोनों ही रीतियों में से जो भी जहाँ उपयुक्त हो उसे वहीं लागू किया जाए।

Determination of Taxable Capacity

करदान-क्षमता का निर्धारण

करदेय क्षमता अनेक तत्वों पर निर्भर करता है जो निम्नलिखित है —

1. राष्ट्र के आय एवं धन के आधार पर (Size of Income and Wealth of the Nation)

किसी भी देश का करदान क्षमता उसकी राष्ट्रीय आय तथा धन के आधार पर निर्भर होती है। और यह आकार स्वयं अनेक ऐसे तत्वों पर निर्भर होता है जैसे- इस देश के प्राकृतिक साधनों व उनके समुचित उपयोग तथा श्रम की किस्म आदि। किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है उसकी करदान क्षमता भी उतना ही अधिक होती है।

2. जनसंख्या का आकार तथा उसकी वृद्धि की दर (Size and Rate of Growth of Population)

किसी देश की करदेय क्षमता का निर्धारण केवल वहाँ की राष्ट्रीय आय ही नहीं करती, बल्कि उस देश की जनसंख्या की मात्रा तथा उसमें वृद्धि की दर से प्रभावित होती है। जिस देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसकी करदेय क्षमता उतनी ही कम होगी। और विपरीत स्थिति में इसका उल्टा होगा। परन्तु यह कथन सदा ठीक नहीं है यदि आय का वितरण समान हो